न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

प्रकरण संख्या 116/24 श्री हरीश बनाम वक्ला

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5

निर्णय दिनांक 08.01.2024

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण के अभिभाषक उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 3, 4, 5, 8, 9, 11 की तरफ से श्री पुननीत भण्डारी एवं विशाल परमार का वकालत नाम पेश किया। पेरोकार सरकार अन्य विपक्षीगण की तलबी हेतु जारी पोस्टल रजिस्टर्ड नोटिसेज पोस्टमेन के बार बार जाने पर भी मिलने/इन्कार करने की रिपोर्ट सहीत प्राप्त हुए है। प्रकरण में उपस्थिति अधिवक्तागण को सुना गया। प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता गण का कथन है कि प्रार्थीगण ने अपने मूल प्रकरण संया 12/19 जिसे दिनांक 27.05.2024 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज करने का रेस्टोर कर पुनः दर्ज कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निस्तारण करने निवेदन किया है। विपक्षीगण मेसे अधिकांश ने उपस्थित हो वकालतनाम प्रस्तुत कर दिया है तथा शेष विपक्षीगण जान बुझकर नोटिस लेने से बच रहे है जबकि उन्हे विर्णत नोटिसेज व उसके तथ्यों की भली–भांती जानकारी है ऐसी स्थिति में न्यायहित में मूल प्रकरण को रेस्टोर करने का आदेश प्रदान कर उभय पक्षों की सुनवाई उपरान्त गुणावगुण पर निर्णय करना न्याय संगत होगा। विपक्षीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार ने प्रकरण को रेस्टोर करने में आपत्ति नही होना जाहिर किया।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत कथनों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया । मूल वाद धारा 53 रा.टि.एक्ट के तहत होकर बंटवारें का है। बंटवारे के वाद का निस्तारण उभय पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य उपरान्त गुणावगुण पर किया जाना होता है। इस मामले में जो विपक्षीगण अनुपस्थित रहे है किन्तु उन्हे प्रार्थना पत्र की जानकारी है तथापि वे तामिल से बच रहे है जिसे न्यायय संगत नही कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है एवं मूल राजस्व प्रकरण संख्या 12/2019 को स्टोर कर पुनः नम्बर लेने का आदेश प्रदान किया जाता है। प्रार्थना प्रकरण निर्णत हो मूल प्रकरण के साथ संलग्न रहे। आदेश खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

08/01/2025

(मुकेशचन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर